संख्या–385/XVIII-B-1/2020-12(4)/2013

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 02 जून, 2020**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु एस.डी.आर.एफ. मद के अंतर्गत धनांवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–155/वि.अनु./02/शा.अनु./2020–21, दिनांक 12.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राकृतिक विपत्तियों के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से रू0 20.00 करोड़ की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त राज्य आपदा मोचन निधि से वित्तीय वर्ष 2020–21 में की गई बजट व्यवस्था से ₹ 20.00 करोड़ (₹ बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो यथा–मार्गो एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंऐं, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (**सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न**)
2. **स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।**
3. आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों में अनुमन्य हैं।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

5. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के कार्यो में से 5% कार्यो का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. सम्पन्न कराये गये कार्यो की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासम्भव वीडियोंग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
8. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं मितव्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2021 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं नियोजन विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है एवं यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी। इसकी लिखित पुष्टि भी आवश्यक रूप से कर ली जायेगी।
12. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
13. उक्तानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से उत्तराखण्ड जल संस्थान को अवमुक्त की जा रही धनराशि के पश्चात जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा इस मद में कोई धनराशि उत्तराखण्ड जल संस्थान को आवंटित नहीं की जायेगी।
14. वास्तविक क्षति के कार्यो पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते है। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यो, नव निर्माण तथा विकास कार्यो में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।
15. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के सम्बन्ध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर (FIR) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. यदि इन योजनाओं में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी से धनराशि अवमुक्त की गई है और वह योजना इन प्रस्तावों में भी है तो दोहरा धन का आहरण नहीं किया जायेगा। इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष एवं विभाग के जनपद स्तर के उत्तरदायी अधिकारी का ही माना जायेगा।
17. जल संस्थान इन कार्यो का नोडल है, इसलिये पेयजल निगम के प्रस्ताव के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुये उनके द्वारा किया जायेगा।
18. कोई नवीन कार्य इस धनराशि से नहीं किया जायेगा।
19. विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः एस.डी.आर.एफ. के मानकों के अनुसार योजनावार अनुरक्षण की लागत, जिलाधिकारी योजनावार धनराशि का विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग के माध्यम से आपदा प्रबन्धन विभाग को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

3— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 के अनुदान संख्या—6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)—101—आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर. एफ.—02—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—292/9(150)-2019/ XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या— (1)/XVIII-B-1/2020-12(4)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग—1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव